


20/10/23 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुवाची
अधिवक्ता को - मायालय के बाहर रुक-रुक
लीन वार आपाद लगाई गई जोई उपो नही
हुआ वार जो लेकर वादी अधिवक्ता गंभीर
नही है। इसलिए अदम हाजरी अदम
पैरकी में पत्रावली को खादीज की जाई
है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज
नम्बर से क्रम है।


सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) रेवदा